लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **तारा चन्द मीणा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 58 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:— 29.04.2021
G.C.M.S. NO. :_ 2021/196

श्री भैरूलाल पिता श्री बेणीराम माली, हनुमान मंदिर के पास, कीरखेड़ा, चित्तौड़गढ़

बनाम

1—सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी

2— सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 25.05.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.02.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 58 / 2021 / (25.05) / 390 दिनांक 03.05.2021 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन को दिनांक 25.05.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 25.05.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 58 / 2021 (सू.अ.)
श्री भैरूलाल माली निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी वगैरा

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी ने अपने पत्रांक/रीड़र/लोसूअ/2021/05 दिनांक 19.05.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से मात्रिकुण्डिया बांध से निकलने वाली मेजा फीडर के ग्राम हरनाथपुरा एवं आरंणी में भूमि अवाप्ति से संबंधित कार्यवाही की उपखण्ड कार्यालय की पत्रावलियों (अवार्ड एवं मुआवजा भुगतान विवरण) की प्रतियां चाही गई जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/रीडर/लोसूअ/2021/03 दिनांक 10.03.2021 से जरिये रजि. अपीलार्थी को सूचित किया गया कि कार्यालय नव–सृजित होने के कारण आप द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। (छायाप्रति संलग्न है।) प्रार्थी द्वारा पुनः पत्रांक 01 दिनांक 01.04.2021 से वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उक्त आवेदन धारा 6 (3) में अन्तरित कर सूचना दिलाने हेतु निवेदन करने पर तहसील कार्यालय से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कार्यवाही उपखण्ड कार्यालय, कपासन द्वारा की गई है जिसके फलस्वरूप पत्रांक/रीडर/लोसूअ/2021/04 दिनांक 08.04.2021 से उपखण्ड अधिकारी, कपासन को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी दी गई। (छायाप्रति संलग्न है।) अतः उपखण्ड कार्यालय नव–सृजित होने तथा प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त तथ्यों से प्रार्थी को निर्धारित समय पर अवगत करा दिया गया है, तत्समय वांछित कार्यवाही उपखण्ड कार्यालय, कपासन द्वारा की गई थी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया हैं अतः अपील निराधार होने से अपील निरस्त फरमावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने अपने पत्रांक/राजस्व/सूचना का अधिकार/2021/35 दिनांक 24.05.2021 से कमेंट्स प्रेषित किए कि उपखण्ड अधिकारी, राशमी द्वारा दिनांक 08.04.2021 को पत्राचार द्वारा प्रार्थी के प्रेषित प्रार्थना पत्र अनुसार मात्रिकुण्डिया बांध से निकलने वाली मेजा फीडर के ग्राम हरनाथपुरा एवं आरणी में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही से संबंधित पत्रावलियों की सूचना चाही गई। प्रार्थी द्वारा आवेदन में प्रकरण का क्रमांक व वर्ष अंकित नहीं होने से चाही गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सूचना का विवरण अपूर्ण होने से उक्त पत्रावलियां ढूंढने में समय लग गया। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना की पत्रावलियां वर्ष 1970 से 1980 तक की है जो अब मिल गई है। प्रार्थी द्वारा अपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से विलम्ब हुआ। मेजा फीडर संबंधी पत्रावलियां 40 से 50 वर्ष पूर्व की है। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं करने से इतना विलम्ब हुआ। अतः प्रार्थी को चाही गई सूचना अब कार्यालय में उपलब्ध होने से श्रीमान के आदेशानुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 25.02.2021 में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराने तथा वांछित सूचना 40 से 50 वर्ष पुरानी होने से उक्त सूचना तलाशने में विलम्ब हुआ है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को उसके द्वारा वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि आवेदक द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था तो सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु उससे पत्राचार किया जाना चाहिए था जो कि सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन के स्तर से ऐसा नहीं किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 58/2021 (सू.अ.)
श्री भैरूलाल माली निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी वगैरा

उपखण्ड अधिकारी, कपासन आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर सूचनाऐं उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

चूंकि अब सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन के कार्यालय में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं 15 दिवस की अवधि में निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./58/2021(सू.अ.)/415 दिनांकः– 25/05/2021

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, राशमी
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
3. श्री भैरूलाल माली पिता श्री बेणीराम माली निवासी हनुमान मंदिर एवं सजरी मेडिकल के पास, गली नम्बर–2, कीरखेड़ा, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:23:18 IST
Reason: SelfAttested